मीटिंग का कोरम 2/3 से अतः कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

प्रस्ताव सं-1 — श्री कार्यवाही पढ़कर सुनाई गयी जिसे सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं-2 — सेक्शन के प्रबन्धक की सुरेन्द्र सिंह सदन को अवगत कराया कि फार्मेसी कालेज की मान्यता कराने का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं-3 — कमेटी के सदस्यों को कैलाश चन्द्र वर्मा ने मान्यता सम्बन्धी समस्त कार्य के लिये प्रबन्धक को सुरेन्द्र सिंह को अधिकृत करने का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन उपस्थित सभी सदस्यों ने किया इस प्रकार प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया कोई प्रस्ताव न होने के कारण उत्पाद के बाद अध्यक्ष जी की अनुमति से मीटिंग समाप्त की गयी।

क्रम सं	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री बलराम सिंह	अध्यक्ष	बलराम सिंह
2.	" नरेन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष	नरेन्द्र सिंह
3-	" सुरेन्द्र सिंह	प्रबन्धक	सुरेन्द्र सिंह
4-	" कैलाश चन्द्र	उपप्रबन्धक	कैलाश चन्द्र
5-	" शिवराज सिंह	कोषाध्यक्ष	शिवराज सिंह
6-	" रामरतन	सदस्य	Ram Ratan
7-	" बेदीराम	"	बेदीराम
8.	" कालीचरन	"	कालीचरन
9.	" शशांक भदौरिया	"	शशांक भदौरिया

सचिव
श्री कालेज
चौधरी [illegible] प्रबन्धक
[illegible] पो० विशुनगढ़ जिला-[illegible]